उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 89वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 21.10.2024

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.10.2024 को सम्पन्न हुई 89वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव
2. श्री पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग –सदस्य
3. श्री श्रीहरि प्रताप शाही, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सहायक सदस्य/सचिव
4. श्री शशांक त्रिपाठी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा –सदस्य
   (प्रतिनिधि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0)
5. श्री गिरीश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन)
6. श्री अरूण सिन्हा, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन लखनऊ मण्डल –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन)
7. श्री विजय कन्नौजिया, मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण –सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन)

विशेष आमंत्री:–

1. सुश्री राम्या आर., विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मेजर जनरल इन्दर मोहन लाम्बा, मुख्य नोडल अधिकारी (डि0कॉ0), यूपीडा।
3. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
4. श्री आर0आर0 सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डि0कॉ0), यूपीडा।
7. श्री आर0के चौधरी, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
8. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, नोडल अधिकारी, यूपीडा।
9. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
10. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. कर्नल आर0वी0 सिंह, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
12. श्री एस0के0 कठेरिया, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
13. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रो0सेल0), यूपीडा।
14. श्री कमल कुमार, सलाहकार, (वित्तीय संस्थाएं), यूपीडा।
15. श्री वीरेन्द्र पाण्डेय, वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
16. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ भू–अर्जन अधिकारी, यूपीडा।
17. श्री राजेश कुमार तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
18. श्री मनीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, यूपीडा।
19. श्री दीपक चतुर्वेदी, प्रबन्धक (प्रशासन), यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 89वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.06.2024 को सम्पन्न हुई 88वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 88वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.06.2024 को सम्पन्न हुई 88वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.06.2024 को सम्पन्न हुई 88वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:–

जेवर एय पोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर हेतु प्रस्ता वेत प्रवेश नियंत्रित ग्रीन–फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में जेवर अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एयरपोर्ट के निर्माण के साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रदेश के अन्य भागों से एयरपोर्ट की अभिगम्यता सुलभ करने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 77–3099/73/2023–औद्योगिक विकास अनुभाग–3–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा "बुलन्दशहर होते हुए जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे का विकास" किये जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन एवं भूमि क्रय/अधिग्रहण आदि की समस्त कार्यवाही करने हेतु परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को प्राधिकृत कर नोडल एजेंसी नामित किया गया है। उक्त शासनादेश में निहित निर्णय के अन्तर्गत जेवर एयरपोर्ट से निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे तक एक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन–फील्ड एक्सप्रेसवे की फिजीबिलिटी स्टडी एवं सर्वे का कार्य कराया गया है। यूपीडा की विभिन्न परियोजनाओं के लिए नियुक्त विकासपरामर्शी मे0 रेडिकान इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर के संरेखण हेतु फिजीबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत सर्वे के उपरान्त संस्तुत विकल्प के अन्तर्गत 83.10 कि0मी0 लम्बे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग रू0 4000 करोड़ होगी। उक्त संरेखण से 02 जनपदों के 57 ग्राम आच्छादित हैं एवं 997 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी। तदनुसार संरेखण के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित है।

निदेशक मण्डल द्वारा जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर हेतु प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन–फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की अद्यतन प्रगति से अवगत होते हुये संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–04:–

TO SEEK RECOMMENDATION OF THE BOARD TO FORAWARD THE 'UTTAR PRADESH AEROSPACE & DEFENCE UNIT AN EMPLOYMENT PROMOTION POLICY–2024 TO THE GOVERNMENT FOR APPROVAL'

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा U.P. Defence & Aerospace Unit Employment and Promotion Policy-2024 के प्रस्तुत ड्राफ्ट पर सहमति देते हुए शासन भेजे जाने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। U.P. Defence & Aerospace Unit Employment and Promotion Policy-2018 (संशोधन सहित) 16 जुलाई, 2018 को प्रारम्भ हुई, जो 05 वर्ष तक प्रभावी रही। इस प्रकार इसके प्रभावी होने की तिथि दिनांक 15.07.2023 थी। इस कम में निदेशक मण्डल द्वारा जुलाई 2023 से नई पालिसी प्रख्यापि .त होने की तिथि तक वर्तमान पालिसी प्रभावी किये जाने हेतु शासन व मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05:–

उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लखनऊ नोड के अन्तर्गत डी0टी0आई0एस0 फैसलिटी विकसित करने हेतु गठित एस0पी0वी0 Advanced Material (Defence) Testing Foundation (AMDTF) को भूखण्ड संख्या A-1 क्षेत्रफल 0.8 हे0 भूमि निःशुल्क आवंटित करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लखनऊ नोड के अन्तर्गत डी0टी0आई0एस0 फैसलिटी विकसित करने हेतु गठित एस0पी0वी0 Advanced Material (Defence) Testing Foundation (AMDTF) को भूखण्ड संख्या A-1 क्षेत्रफल 0.8 हे0 भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–06:–

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 व 4 के ठेकेदार– मेसर्स एफॅकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 एवं यूपीडा के मध्य कॉन्सिलियेशन प्रक्रिया के माध्यम से डिस्प्यूट के सेटेलमेन्ट किये जाने के कम में दिनांक 12.09.2024 व 13.09.2024 की कॉन्सिलियेशन बैठक में दोनो पक्षो के मध्य आपसी सहमति से कन्सिलिएटर द्वारा लिये गये निर्णय से मा0 निदेशक मंडल को अवगत कराते हुए मा0 निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

यूपीडा के निदेशक मंडल के मा0 सदस्यों को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया गया।

1. आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 व 4 के ठेकेदार मेसर्स एफकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान भुगतान से सम्बन्धित कतिपय क्लेम्स किये गये थे जिनका यूपीडा द्वारा भुगतान नहीं किया गया था।
2. उक्त क्लेम्स सम्बन्धी विवाद के सेटलमेन्ट हेतु दिनांक 15.06.2021 को तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा की अध्यक्षता में क्लेमेन्ट एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के साथ बैठक की गयी। उक्त बैठक में डिस्प्यूट के समाधान हेतु दोनो पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पायी जिसके परिणाम स्वरूप एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा यूपीडा के विरूद्ध आर्बिट्रेशन वाद संस्थित किया गया।

3. पैकेज 2 के आर्बिट्रेशन वाद में एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा कुल धनराशि रू0 358,71,38,386.86 के 14 क्लेम्स प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 84 व 85 पर उपलब्ध है। पैकेज 2 में rutting defect के rectification हेतु यूपीडा द्वारा भी रू0 480,26,99,097.00 का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 86 पर उपलब्ध है।

4. पैकेज 4 के आर्बिट्रेशन वाद में एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा कुल धनराशि रू0 235,37,36,729.00 के 11 क्लेम्स प्रस्तुत किये गये जिनका विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 230 व 231 पर उपलब्ध है। पैकेज 4 में rutting defect के rectification हेतु यूपीडा द्वारा भी रू0 502,03,56,470.82 का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 232 पर उपलब्ध है।

5. परियोजना कार्यान्वयन के दौरान उ0 प्र0 सरकार द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 19.06.2016 के माध्यम से मिट्टी की दरे रू0 14 प्रतिघन मी0 से बढाकर रू0 30 प्रतिघन मी0 कर दिया गया था। इसी नोटिफिकेशन दिनांक 19.06.2016 के माध्यम से खनिजों पर रायल्टी की दरें बढा दी गयीं थी। जिनका विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 158 से 159 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार नोटिफिकेशन दिनांक 03.09.2015 व दिनांक 04.04.2016 के माध्यम से क्रमशः यू0पी0 वैट एक्ट के शिड्यल 5 की सामग्री एवं सीमेन्ट पर अतिरिक्त वैट की दरों में परिर्वतन किया गया था जिसका विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 169 के पैरा 45 पर उपलब्ध है। कान्ट्रैक्ट के क्लॉज 19.17 (Change in Law) के अन्तर्गत एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा रायल्टी एवं वैट की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप कारित अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति हेतु भी दावे किये गये जिन्हे यूपीडा द्वारा निर्णयार्थ शासन को संन्दर्भित किया गया है। क्लेमेन्ट एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा Change in Law से सम्बन्धित उक्त दावों को आर्बिट्रेशन में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु यूपीडा द्वारा इनके भुगतान न किये जाने की दशा में इन्हे आर्बिट्रेशन में सन्दर्भित करने का अधिकार सुरक्षित करने की नोटिस दी गयी है।

6. रायल्टी की दरों में परिर्वतन के कारण Change in Law से सम्बन्धित पैकेज 2 के क्लेम का विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 157 से 166 पर उपलब्ध है, एवं पैकेज 4 से सम्बन्धित क्लेम का विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 239 से 252 पर उपलब्ध है।

7. वैट की दरों में परिर्वतन के कारण Change in Law से सम्बन्धित पैकेज 2 के क्लेम का विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 167 से 171 पर उपलब्ध है, एवं पैकेज 4 से सम्बन्धित क्लेम का विवरण एजेण्डा के पृष्ठ सं0 253 से 257 पर उपलब्ध है।

8. कान्ट्रैक्ट के क्लॉज 26.2 (Conciliation) तथा Arbitration and Conciliation Act- 1996 में कन्सिलिएटरर्स के माध्यम से Dispute Resolution किये जाने का प्राविधान है। दिनांक 15.06.2021 को क्लेमेन्ट एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 व यूपीडा के मध्य Dispute Resolution हेतु की गयी बैठक में कन्सिलिएटर्स की नियुक्ति नही की गयी थी। इस प्रकार कन्सिलिएशन की सम्यक प्रक्रिया नहीं की गयी।

9. दिनांक 27.05.2024 को मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा उक्त Disputes के Resolution हेतु यूपीडा से अनुरोध किया गया।

10. उक्त के आलोक्य में यूपीडा द्वारा क्लेमेन्ट एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 की सहमति से Disputes के Resolution हेतु कान्ट्रैक्ट के क्लॉज 26.2 (Conciliation) तथा Arbitration and Conciliation Act- 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत कन्सिलिएटर्स की नियुक्ति की गयी।

11. कन्सिलिएटर्स द्वारा दिनांक 08.07.2024, 09.07.2024, 21.08.2024, 12.09.2024 एवं 13.09.2024 को बैठके की गयी। उक्त बैठकों के कम में क्लेमेन्ट एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 एवं यूपीडा के मध्य निम्नांकित क्लेम्स पर सहमति बनी जिनके क्वान्टिफिकेशन एवं धनराशि का यूपीडा, एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 एवं अथारिटी इंजीनियर द्वारा संयुक्त परीक्षण किया गया। संयुक्त परीक्षण में निम्नांकित विवरणानुसार इन क्लेम्स की कुल धनराशि रू0 221,95,74,181.00 अनुमन्य पायी गयी।

Sr. No.	Claim Description	Amount in Package-2 (in Rs.)	Amount in Package-4 (in Rs.)	Total
1	Claims under Change in Law due to increase in rate of Royalty of Earth	11,36,58,264	9,55,57,008	20,92,15,272
2	Claims under Change in Law due to increase in Rate of Royalty of Stone Aggregate, Stone Dust, Sand and Boulder	-	13,49,22,626.00	13,49,22,626
3	Claims under Change in Law due to increase in Rate of UPVAT	1,37,78,492	1,39,18,834	2,76,97,326
4	**Sub-Total (1+2+3)**	**12,74,36,756**	**24,43,98,468**	**37,18,35,224**
5	Payment of on account of additional works executed at Wayside amenities complexes at Ch 98+500 and Ch 101+600 of the project expressway with interest and cost	19,59,78,170	-	19,59,78,170
6	Payment of on account of additional works executed at Wayside amenities complexes at Ch 215+200 and Ch 224+400 of the project expressway with interest and cost	-	20,53,29,511	20,53,29,511
7	Additional payment for increase in scope of Rail Over Bridges (RoB) at Ch 67+600 and Ch 88+415 with interest and cost	1,35,64,31,276	-	1,35,64,31,276
8	Release of amount withheld owing to incorrect interpretation of the Authority's Engineer/Respondent on account of non-construction of 3 nos. minor bridges with interest and cost	9,00,00,000	-	9,00,00,000
9	**Sub-Total (5+6+7+8)**	**1,64,24,09,446**	**20,53,29,511**	**1,84,77,38,957**
	GRAND TOTAL (4+9)	**1,76,98,46,202**	**44,97,27,979**	**2,21,95,74,181**

12. मा0 सदस्यों को उपरोक्त क्लेम्स् का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया गया जो एजेण्डा के निम्नांकित पृष्ठों पर संलग्न है।

Sr. No.	Claim Description	Reference of page nos. of Agenda (Package-2)	Reference of page nos. of Agenda (Package-4)
1	Claims under Change in Law due to increase in rate of Royalty of Earth	157-166	246-249
2	Claims under Change in Law due to increase in Rate of Royalty of Stone Aggregate, Stone Dust, Sand and Boulder	-	250-252
3	Claims under Change in Law due to increase in Rate of UPVAT	167-171	253-257
4	Payment of on account of additional works executed at Wayside amenities complexes at Ch 98+500 and Ch 101+600 of the project expressway with interest and cost	172-187	-
5	Payment of on account of additional works executed at Wayside amenities complexes at Ch 215+200 and Ch 224+400 of the project expressway with interest and cost	-	258-274
6	Additional payment for increase in scope of Rail Over Bridges (RoB) at Ch 67+600 and Ch 88+415 with interest and cost	188-203	-
7	Release of amount withheld owing to incorrect interpretation of the Authority's Engineer/Respondent on account of non-construction of 3 nos. minor bridges with interest and cost	204-209	-

13. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा उक्त के अतिरिक्त अन्य क्लेमस ड्राप करने पर सहमति दी गयी तथा यूपीडा द्वारा काउन्टर क्लेमस ड्राप करने की सहमति दी गयी।

14. मा0 निदेशक मंडल के सदस्यो को यह अवगत कराया गया कि कन्सिलिएशन प्रकिया में जिन क्लेमस पर दोनो पक्षों में सहमति बनी है वह औचित्यपूर्ण हैं तथा प्रचलित आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन ट्राईब्यूनल द्वारा ठेकेदार के इन क्लेमस को मय ब्याज अवार्ड किये जाने की पूरी सम्भावना है। आर्बिट्रेशन ट्राईब्यूनल द्वारा इन क्लेमस को अवार्ड किये जाने की दशा में इन क्लेमस पर ब्याज भी देना होगा जिसकी धनराशि काफी अधिक होगी जबकि वर्तमान कन्सिलिएशन प्रकिया में दोनो पक्षों ब्याज न देने हेतु सहमति बनी है।

15. मा0 निदेशक मंडल के सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि मेसर्स एफकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 एवं यूपीडा के मध्य आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 व 4 से सम्बन्धित उक्त कन्सिलिएशन प्रकिया पर श्री अजीत कुमार सिंह, अपर महाअधिवक्ता, उ0प्र0 सरकार का विधिक मत प्राप्त किया गया जो एजेण्डा के पृष्ठ सं0 289–294 पर उपलब्ध है। श्री अजीत कुमार सिंह, अपर महाअधिवक्ता द्वारा निम्नांकित विधिक मत दिया गया।

"The claims of the contractors have either been mutually accepted after verification of the amount or have been dropped by the contractor as per report on claims along with minutes of conciliation meetings held on 12.09.2024 and 13.09.2024. The authority has also dropped its counter claim.

The contractor and authority have agreed that no interest will be paid on agreed amount accepted by the parties in conciliation proceeding, which will be in the interest of the authority being financially viable. Not only this the amount, if any, awarded in the arbitration proceedings will be awarded along with interest, so it will be detrimental to the interest of the authority.

In view of the above facts mentioned it will be advisable to UPEIDA to proceed further with the conciliation proceedings for settlement of the disputes in accordance with the article 26 of the contract agreement and part III of the Arbitration and Conciliation Act 1996 read with Section 30 of the Arbitration and Conciliation Act 1996."

यूपीडा से सम्बद्ध, श्री अभिषेक द्विवेदी, अधिवक्ता के विधिक मत भी प्राप्त किये गये जो एजेण्डा के पृष्ठ सं0 295–327 पर उपलब्ध है। श्री अभिषेक द्विवेदी द्वारा निम्नांकित विधिक मत दिया गया है।

"Opinion

72. In view of the discussions and findings above, I opine that-

a. The conciliation proceedings initiated between the parties are in accordance with law and the Contract. As stated above, the conciliation proceedings can be initiated at any stage and even after the initiation of the arbitral proceedings. There is no bar on their initiation at any time and in fact, the Hon'ble courts and government institutions in India have encouraged conciliation proceedings as and when possible.

b. UPEIDA, being a party to the Contract, which is of commercial nature, is entirely competent to engage in conciliation proceedings and execute a Settlement Agreement/Award, if such proceedings fructify.

c. The preliminary agreement between the parties on settlement of the claims appears to be in UPEIDA's interest as the claims which are being accepted have a reasonably sound legal and contractual basis and are otherwise reasonable as well. On the other hand, AIL has agreed to forgo a substantial number of claims which outweigh the claims which are being allowed. AIL has also agreed to give up its claim for interests entirely. Pertinent to note, if such claims are eventually allowed by the Hon'ble Arbitral Tribunal, UPEIDA will have to pay substantial interest amounts and the legal process involving challenging the award would be cumbersome and likely to incur substantial legal costs.

d. If the Conciliation proceedings are successful, UPEIDA will be able to avoid substantial interest claims (which the contractor has agreed to forego completely) as well as future legal costs.

Therefore, considering the merits of the case and the minutes of the conciliation proceedings placed in my hand, I am of the opinion that UPEIDA may proceed with the Conciliation Proceedings and settle the matter through a Settlement Agreement/Award in terms of the preliminary agreement between the parties."

उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए मा0 निदेशक मंडल द्वारा कन्सिलिएशन के कार्यवृत्त दिनांक 13.09.2024 में अंकित Agreed and dropped claims of M/s Afcons and dropped counter claim of UPEIDA पर सहमति व अनुमोदन प्रदान करते हुए शासन के माध्यम से मा0 मंत्रीपरिषद से स्वीकृति प्राप्त किये जाने का निर्णय एवं निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यूपीडा एवं मेसर्स सहकार ग्लोबल लि0, पूर्ववर्ती टोल एजेन्सी के मध्य विवाद की अद्यतन स्थिति एवं उसको सुलझाने के लिए कान्सीलिएशन (Conciliation) प्रकिया अपनाने के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल ने मै0 सहकार ग्लोबल लि0, पूर्ववर्ती टोल एजेन्सी एवं यूपीडा के मध्य विवाद में यूपीडा द्वारा अब–तक की गयी कार्यवाही को संज्ञान में लेकर यूपीडा द्वारा कान्सीलिएशन प्रकिया को अपनानें और सर्व श्री बी0पी0 सिंह एवं संजीव श्रीवास्तव को कान्सीलिएटर नियुक्त करने का अनुमोदन करने के साथ–साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को अधिकृत किया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **गंगा एक्सप्रेसवे के ग्रुप–II, ग्रुप–III एवं ग्रुप–IV के विकासकर्ताओं के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के यूपीडा के दावे एवं विकासकर्ताओं द्वारा प्रतिदावा से उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु Conciliator की नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल के संज्ञान में निम्नलिखित बिन्दु लाये गये:–

पी0पी0पी0 पद्धति पर संचालित प्राधिकरण की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को चार ग्रुपों में विभक्त किया गया है एवं प्रत्येक ग्रुप के विकास के लिये एक–एक विकासकर्ताओं की नियुक्ति की गयी हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं–

- ग्रुप– I –मे0 मेरठ बदायूँ एक्सप्रेसवे लि0।
- ग्रुप– II –मे0 बदायूँ हरदोई रोड प्रा0 लि0।
- ग्रुप– III –मे0 हरदोई उन्नाव रोड प्रा0 लि0।
- ग्रुप– IV –मे0 उन्नाव प्रयागराज रोड प्रा0 लि0।

प्रत्येक ग्रुप के कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल–9 के प्रस्तर 9.1 के अनुसार निर्माण अवधि में अपने दायित्वों के निर्वहन की बाध्यता के लिये विकासकर्ताओं द्वारा क्रमशः रू 151.20 करोड़ (ग्रुप–I), रू 169.34 करोड़ (ग्रुप–II), रू 174.33 करोड़ (ग्रुप–III) एवं रू 168.79 करोड़ (ग्रुप–IV) की परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा की गयी थी।

कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल–9 के प्रस्तर 9.3 में उपरोक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी को वापस करने के लिये निम्न व्यवस्था की गयी है:–

"The Performance Security shall remain in force and effect for a period of one year from the Appointed Date but shall be released earlier upon the Concessionaire expending on Project construction an aggregate sum that is not less than 20% (Twenty per cent) of the Total Project Cost; provided however, that the Performance Security shall not be released if the Concessionaire is in breach of this Agreement. Upon request made by the Concessionaire for release of the Performance Security along with the particulars which establish satisfaction of the requirements specified under this Clause 9.3, the Authority shall release the Performance Security forthwith."

उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रुप–I की परफार्मेन्स सिक्योरिटी पूर्व मे वापस की गयी थी। ग्रुप–II, ग्रुप–III एवं ग्रुप–IV के विकासकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि में फाइनेन्सियल क्लोज न करा पाने के फलस्वरूप हुये विलम्ब के कारण अनुबन्धित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यूपीडा द्वारा रू0 43.

57 करोड क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है। जिसे विकासकर्ताओं द्वारा मना किया गया है। इसके अतिरिक्त Article 4 (Condition precedent) के भी निर्धारित समयावधि में प्रतिपूर्ति न होने के कारण इंगित कर विकासकर्ताओं द्वारा रू0 120.80 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) का प्रतिदावा किया गया है जिसे प्राधिकरण ने नहीं माना है। इस प्रकार एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसका समाधान विभिन्न बैठकों में आपसी विचार विमर्श से नहीं निकल पाया है।

इस कारण एक वर्ष की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी परफार्मेन्स सिक्योरिटी वापस नहीं हो सकी थी। दिनांक 19.03.2024 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त ग्रुप–II एवं ग्रुप–III की परफार्मेन्स सिक्योरिटी वापस कर दी गयी एवं क्षतिपूर्ति के दावों के विवाद के निस्तारण तक ग्रुप–IV की परफार्मेन्स सिक्योरिटी रोक ली गयी थी।

ग्रुप–IV के विकासकर्ता द्वारा ग्रुप–II, ग्रुप–III एवं ग्रुप–IV के विरूद्ध यूपीडा की क्षतिपूर्ति दावे के लिये Dispute resolution Process के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय को मानने की बाध्यता की आशय का अण्डरटेकिंग दिया गया है। जिसके पश्चात ग्रुप–IV की परफार्मेन्स सिक्योरिटी भी वापस कर दी गयी है।

ग्रुप–II, ग्रुप–III एवं ग्रुप–IV के साथ उत्पन्न हुए क्षतिपूर्ति के दावों के विवाद के निस्तारण हेतु गठित यूपीडा के अधिकारियों के समिति की अनुशंसा के आधार पर यूपीडा द्वारा इस विवाद के निस्तारण के लिये कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल–44.2 (Dispute resolution) में प्राविधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत Conciliator हेतु श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, B–1 504, Cleo County, Sector 121, Noida की नियुक्ति The Arbitation and Conciliation Act-196 की धारा–62 के अन्तर्गत की गयी है, जिस पर विकासकर्ताओं की सहमति प्राप्त है।

Conciliation की प्रक्रिया प्रचालित हो चुकी है। जिसकी प्रथम बैठक दिनांक 22.08.2024 को सम्पन्न हुयी।

Board of Director of UPEIDA, having persued the Agenda Note no. 10 palced before it in the meeting held on 21 october 2024, approved and passed the following Resolution:-

"ग्रुप–II, ग्रुप–III एवं ग्रुप–IV के साथ उत्पन्न हुए क्षतिपूर्ति के दावों के विवाद के निस्तारण हेतु यूपीडा द्वारा इस विवाद के निस्तारण के लिये कन्सेशन अनुबन्ध के आर्टिकल–44.2 (Dispute resolution) में प्राविधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत Conciliator हेतु श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, B–1 504, Cleo County, Sector 121, Noida की नियुक्ति The Arbitation and Conciliation Act-196 की धारा–62 के अन्तर्गत, जिस पर विकासकर्ताओं की सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए मा0 निदेशक मण्डल अनुमोदन प्रदान किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु–09:–

यूपीडा के मार्गों पर यूटीलिटी कॉसिंग/बिछाये जाने हेतु मोर्थ के सर्कुलर/नीतियों के आधार पर अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा यूपीडा के मार्गों पर यूटीलिटी कॉसिंग/बिछाये जाने हेतु मोर्थ के सर्कुलर/नीतियों के आधार पर अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10:–

उ0प्र0 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत कियान्वयन हेतु परियोजना के ग्रुप– I, II, III, IV के कन्सेशनेयरों को यूपीडा द्वारा वी.जी.एफ. की देय ग्रांट की धनराशि–मानक परिचालानात्मक प्रकिया (एस.ओ.पी.) और सप्लीमंट्री ट्राईपारटाइट एंग्रीमेंट के प्रस्ताव पर यूपीडा निदेशक मण्डल के कार्योत्त अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

1. निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 2648/77–3–21–90(एम)/2021 दिनांक 16 दिसंबर 2021 के अनुपालन में शासन द्वारा चार निर्माणकर्ता कन्सेशनयरों को परियोजना निर्माण हेतु समय–समय पर निर्धारित मात्रा में अवमुक्त की जाने वाली ग्राण्ट राशि के संबंध में एक मानक परिचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure-SOP) अपनाने के लिए और सप्लीमेंटरी ट्राईपारटाइट एग्रीमेंट (Supplementary Tripartite Agreement) की कार्यवाही करने के लिए निदेशक मण्डल से कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 18 जुलाई 2024 को अनुमति प्रदान की गयी।
2. मानक परिचालन प्रकिया और सप्लीमेंटरी ट्राईपारटाइट एग्रीमेंट (Supplementary Tripartite Agreement) को सभी कन्सेशनेयरों एवं उन्हें वित्तीयन करने वाली बैकों के साथ साझा किया गया ताकि सम्पूर्ण प्रकिया में एकरूपता बनी रहे और ग्राण्ट अवमुक्त किये जाने की प्रकिया में सभी संबंधित पक्षों का दायित्व भी स्पष्ट रहे।
3. इसी कम में ग्रुप–1 के कन्सेशनेयर व उनके वित्तीयन करने वाली बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, के साथ सप्लीमेंटरी ट्राईपारटाइट एग्रीमेंट (Supplementary Tripartite Agreement) 26 जुलाई 2024 को एवं ग्रुप–II, III & IV के कन्सेशनेयरों व उनके वित्तीयन करने वाली बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, के साथ सप्लीमेंटरी ट्राईपारटाइट एग्रीमेंट (Supplementary Tripartite Agreement) लखनऊ में 02 सितम्बर 2024 को निष्पादित किया गया।
4. अभी तक ग्रुप–I के कन्सेशनेयर की मांग पर ग्राण्ट राशि रू0 350.00 करोड़ दिनांक 02 अगस्त 2024 और रू0 125.00 करोड दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को उनके वित्तीयन करने वाली बैंक, Union Bank Of India, को जारी की जा चुकी है।

"Board of Director of UPEIDA, having persued the Agenda Note no. 10 palced before it in the meeting held on 21 october 2024, approved and passed the following Resolution:-

"शासनादेश संख्या 2648/77–3–21–90(एम)/2021 दिनांक 16 दिसंबर 2021 के अनुपालन में शासन द्वारा चार निर्माणकर्ता कन्सेशनयरों को परियोजना निर्माण हेतु समय–समय पर निर्धारित मात्रा में अवमुक्त की जाने वाली ग्राण्ट राशि के संबंध में एक मानक परिचालन प्रकिया (Standard

Operating Procedure-SOP) अगीकृत करने और सप्लीमेंटरी ट्राईपारटाइट एग्रीमेंट (Supplementary Tripartite Agreement) की कार्यवाही पर शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए त्रिपक्षीय Supplementary Agreement की कार्यवाही करते हुए वी.जी.एफ. की धनराशि कंसेशनायर को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए मा0 निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही पर सहमति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु–11:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज–01 एवं 02 में चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पैकेज–01 एवं 02 में चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **यूपीडा के निदेशक मंडल की प्रस्तावित 89वीं बैठक हेतु गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत निम्न 02 संस्थाओं को प्रदान की गई समयवद्धियों पर मा0 निदेशक मण्डल का अनुमोदन।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में कार्यरत संस्थाओं (i) पैकेज–1 की ई.पी.सी. कार्यदायी संस्था (मेसर्स एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) को प्रदान की गई चतुर्थ (दिनांक 31.07.2024 तक), पंचम (दिनांक 30.08.2024 तक) तथा तथा षष्ठम् समयवृद्धि (दिनांक 30.10.2024 तक) एवं (ii) अथॉरिटी इंजीनियर (टीपीएफ जेटिन्सा यूरोस्टूडिओस एसएल) को दिनांक 01.08.2024 से दिनांक 30.10.2024 तक स्वीकृत तृतीय समयवृद्धि (निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु) के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **पूर्वांचल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण अवधि में चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये गये कार्य का अनुमोदन।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा पूर्वांचल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे के अनुरक्षण अवधि में चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये गये कार्य के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **(A) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (Change of Scope) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

(B) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिस (Change of Scope Notice) के पश्चात चेन्ज ऑफ स्कोप आर्डर (Change of Scope Order) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

(A) यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चारों ग्रुप को निर्गत चेन्ज ऑफ स्कोप नोटिसेज को संज्ञान में लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(B) यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चारों ग्रुप को निर्गत किये गये कुल 12 चेन्ज ऑफ स्कोप ऑर्डर (ग्रुप–I: 06नं0), (ग्रुप–II: 04नं0), (ग्रुप–III: 01नं0) एवं (ग्रुप–IV: 01नं0) लागत रू0 222.40 करोड़ को संज्ञान में लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत आई0एम0एल0सी0 (इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर) के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेन्ट के चयन के अनुबन्ध का अनुमोदन।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत आई0एम0एल0सी0 (इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर) के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेन्ट के चयन के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–16:– **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अलीगढ़ नोड के अन्तर्गत क्रय की जा रही अतिरिक्त भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु भूमि/परिसम्पत्तियों के दर/मूल्य के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–17:– **इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु भूमि/परिसम्पत्तियों के दर/मूल्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु भूमि/परिसम्पत्तियों के दर/मूल्य के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–18:– **मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की भूमि क्रय हेतु जनपद–चित्रकूट से प्राप्त भूमि की दरों एव कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन हेतु अधिकृत किये जाने एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यूपीडा बोर्ड से स्वीकृति की प्रत्याषा में अनुमोदित प्रस्तावों को यूपीडा बोर्ड द्वारा अवलोकित किये जाने के सम्बन्ध में।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा को चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना की भूमि क्रय हेतु जनपद–चित्रकूट से प्राप्त भूमि की दरों एव कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन हेतु अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–19:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के अन्तर्गत जनपद–गोरखपुर में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के अन्तर्गत जनपद–गोरखपुर, तहसील–खजनी, ग्राम–भिसियाबुर्जुग एवं ददौरा में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–20:– **यूपीडा निदेशक मण्डल की बैठक हेतु गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से सम्बन्धित जनपद–मेरठ में भूमि के विनिमय, जनपद–हापुड़ में छूटी हुई भूमि व जनपद–रायबरेली में पूर्व प्रस्तावों में छूटी हुई भूमि तथा परिसम्पत्तियों को जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ।**

निदेशक मण्डल द्वारा "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" से सम्बन्धित जनपद–मेरठ में भूमि के विनियम, जनपद हापुड़ में छुटी हुई भूमि व जनपद रायबरेली में पूर्व प्रस्तावों में छूटी हुई भूमि तथा परिसम्पत्तियों का जनपद स्तरीय जिला (मध्यम एवं वृहद परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि मूल्य अनुमोदन समितियों द्वारा पारित व सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–21:–

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।

1. **संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्नवत् अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश्यकता आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 89 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2024 में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेष संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री अतुल कुमार अस्थाना	वरिष्ठ प्रबन्धक (वन)	03.07.2024	एक वर्ष	03.07.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
2.	श्री राम मूर्ति	निजी सचिव	12.07.2024	एक वर्ष	12.07.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
3.	श्री अशोक कुमार	प्रबन्धक (विद्युत)	11.07.2024	06 माह	11.01.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
4.	श्री शरद मोहन मल्ल	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	11.07.2024	06 माह	11.01.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
5.	श्री विजय कुमार	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	29.06.2024	06 माह	29.12.2024	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
6.	श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय	सहायक राजस्व अधिकारी (डिफेन्स कॉरिडोर)	14.07.2024	06 माह	14.01.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
7.	श्री कपिल देव सिंह यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	30.03.2024	06 माह	30.09.2024	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
8.	श्री राजमणि यादव	लेखाकार कम कैशियर	18.07.2024	06 माह	18.01.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
9.	श्री रवीन्द्र सिंह	ड्राफ्टमैन	07.07.2024	06 माह	07.01.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
10.	श्री राधेश्याम सिंह	सुरक्षा अधिकारी	14.07.2024	06 माह	14.01.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
11.	श्री कल्लू सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	03.08.2024	06 माह	03.02.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
12.	श्री शमरेश सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.06.2024	06 माह	29.12.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
13.	श्री परमात्मा सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	15.07.2024	06 माह	15.01.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
14.	श्री प्रभूनाथ यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	02.08.2024	06 माह	02.02.2025	सं0–1572/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 25.06.2024
15.	श्री अवधेश कुमार	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	04.08.2024	06 माह	04.02.2025	सं0–2355/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 29.07.2024
16.	श्री अर्पित अवस्थी	मीडिया सहायक	07.07.2024	06 माह	07.01.2025	सं0–2355/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 29.07.2024
17.	श्री गणेश प्रसाद	लेखाकार कम कैशियर	31.07.2024	03 माह	31.10.2025	सं0–2355/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 29.07.2024
18.	श्री फूल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	13.08.2024	06 माह	13.02.2025	सं0–2355/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 29.07.2024
19.	श्री गजानन्द सिंह यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	19.09.2024	06 माह	19.03.2025	सं0–2355/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 29.07.2024
20.	श्री धीरेन्द्र कुमार शुक्ल	सहायक सुरक्षा अधिकारी	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–2355/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 29.07.2024
21.	श्री उमाशंकर सिंह	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2024	06 माह	25.01.2025	सं0–2355/यूपीडा/2570/22/अधि0 दिनांक 29.07.2024

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेष संख्या / तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22.	डा0 शिव सिह कनौजिया	सहायक प्रबन्धक (अधिष्ठान)	18.09.2024	06 माह	18.03.2025	सं0–2355 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 29.07.2024
23.	श्री राम शंकर सोनी	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2024	06 माह	24.03.2025	सं0–2355 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 29.07.2024
24.	श्री अतुल कुमार पाण्डेय	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2024	06 माह	24.03.2025	सं0–2355 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 29.07.2024
25.	श्री श्रीप्रकाश सिंह	लेखाकार कम आडिटर	24.09.2024	06 माह	24.03.2025	सं0–2355 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 29.07.2024
26.	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	25.07.2024	06 माह	25.01.2025	सं0–2355 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 29.07.2024
27.	श्री दिनेश कुमार गुप्ता	लेखाकार कम कैशियर	02.09.2024	06 माह	02.03.2025	सं0–2355 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 29.07.2024
28	श्री बंशीधर सीताराम दुबे	सलाहकार (प्रक्योरमेन्ट सेल)	31.08.2024	एक वर्ष	31.08.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
29	श्री राजेश मोहन गुप्ता	महाप्रबन्धक (सिविल)	19.08.2024	06 माह	19.02.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
30.	श्री भरत यादव	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.10.2024	06 माह	27.04.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
31.	श्री हरी सिंह	सुरक्षा अधिकारी	06.10.2024	06 माह	06.04.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
32.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	सुरक्षा अधिकारी	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
33.	श्री बृजपाल कनौजिया	सहायक सुरक्षा अधिकारी	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
34.	श्री बादाम सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
35.	श्री शैलेन्द्र सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
36.	श्री सर्वेश कुमार कटियार	प्रबन्धक (सिविल)	19.08.2024	06 माह	19.02.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
37.	श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा	प्रबन्धक (सिविल)	19.08.2024	06 माह	19.02.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
38.	श्री अरविन्द कुमार राजपूत	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.08.2024	06 माह	19.02.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
39.	श्री राम बिलास सिंह	सुरक्षा अधिकारी	01.10.2024	06 माह	01.04.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
40.	श्री राम चरन	सुरक्षा अधिकारी	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
41.	श्री राम चन्द्र वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
42.	श्री राजेन्द्र सिंह द्वितीय	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.10.2024	06 माह	01.04.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
43.	श्री काशीनाथ यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.09.2024	06 माह	01.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
44.	श्री राजपाल सिंह यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.10.2024	06 माह	01.04.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
45.	श्री रमेश चन्द्र दुबे	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	27.09.2024	06 माह	27.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
46.	श्री जगदीश सिंह	लेखाकार कम कैशियर	01.09.2024	06 माह	01.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
47.	श्री श्याम सुन्दर चौधरी	लेखाकार कम कैशियर	11.09.2024	06 माह	11.03.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024
48.	श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव	निजी सचिव	21.09.2024	एक वर्ष	21.09.2025	सं0–3199 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 03.09.2024

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवाविस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या / तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
49.	श्री राम कुमार	वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) तकनकी प्रकोष्ठ	02.09.2024	06 माह	02.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
50.	श्री कपिल देव सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	30.09.2024	06 माह	30.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
51.	श्री कृष्ण स्वरूप सिन्हा	सुरक्षा अधिकारी	10.10.2024	06 माह	10.04.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
52.	श्री राजेश कुमार सिंह चन्देल	सुरक्षा अधिकारी	26.09.2024	06 माह	26.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
53.	श्री सत्य प्रकाश	सहायक सुरक्षा अधिकारी	08.09.2024	लगभग 02 माह	17.11.2024	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
54.	श्री अनिल कुमार	सहायक सुरक्षा अधिकारी	18.10.2024	06 माह	18.04.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
55.	श्री भागीरथ शुक्ला	वरिष्ठ सहायक (डिफेन्स कॉरिडोर)	18.09.2024	06 माह	18.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
56.	श्री राम किंकर त्रिपाठी	प्रबन्धक (सिविल)	19.08.2024	06 माह	19.02.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
57.	श्री निर्मल दास यादव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.08.2024	06 माह	19.02.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
58.	श्री हरिशंकर सिंह	लेखाकार कम कैशियर	30.10.2024	06 माह	30.04.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
59.	श्री गयासुल हक	लेखाकार कम कैशियर	11.09.2024	06 माह	11.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
60.	श्री शंकर दयाल राम	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2024	06 माह	02.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
61.	श्री अमर नाथ	वरिष्ठ सहायक (डिफेन्स कॉरिडोर)	18.09.2024	06 माह	18.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
62.	श्री गणेश प्रसाद	लेखाकार कम कैशियर	31.10.2024	06 माह	30.04.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
63.	श्री कृष्ण कुमार	निजी सचिव	11.10.2024	06 माह	11.04.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
64.	श्री संजीव शुक्ला	प्रबन्धक (सिविल)	22.09.2024	06 माह	22.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
65.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	22.09.2024	06 माह	22.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
66.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुष्पद	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	22.09.2024	06 माह	22.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
67.	श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी	प्रबन्धक (सिविल)	06.09.2024	06 माह	06.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
68.	श्री रामपाल सिंह यादव	सुरक्षा अधिकारी	22.10.2024	06 माह	22.02.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
69.	श्री राजेन्द्र सिंह प्रथम	सहायक सुरक्षा अधिकारी	01.10.2024	06 माह	01.04.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
70.	श्री कृपाल सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	13.08.2024	06 माह	13.02.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
71.	श्री के0एन0निगम	लेखाकार कम कैशियर	24.09.2024	06 माह	24.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
72.	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	02.09.2024	06 माह	02.03.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024
73.	श्री शम्स आजाद	सहायक प्रबन्धक (सिविल) (डिफेन्स कॉरिडोर)	25.10.2024	06 माह	25.04.2025	सं0–3406 / यूपीडा / 2570 / 22 / अधि0 दिनांक 11.09.2024

2. यूपीडा में कार्यरत डिप्टी कलेक्टर / अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता जिनको प्रतिनियुक्ति से उनके मूलविभाग अर्थात नियुक्ति विभाग / लोक निर्माण विभाग / राजस्व विभाग, को वापस किये जाने अथवा

सेवानिवृत्त होने पर यूपीडा से कार्यमुक्त किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 89 वीं बोर्ड बैठक मे दिनांक 21.10.2024 में प्राप्त किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रतिनियुक्ति से वापस की तिथि	कार्यालय आदेश संख्या
1.	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	उप जिलाधिकारी	04.03.2024	सं0–7357 / यूपीडा / 3015 / 23 / अधि0 दिनांक 04.03.2024
2.	श्री अजय कुमार पाण्डेय	उप जिलाधिकारी	04.03.2024	सं0–7358 / यूपीडा / 3015 / 23 / अधि0 दिनांक 04.03.2024
3.	श्री दयाराम सत्यार्थी	अधीक्षण अभियन्ता	31.03.2024	दिनांक 31.03.2024 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुकें है।
4.	श्री सतीश कुमार	अधिशासी अभियन्ता	08.05.2024	सं0–709 / यूपीडा / 386 / 15 / अधि0 दिनांक 08.05.2024
5.	श्री इन्तजारूल हसन	राजस्व निरीक्षक	23.07.2024	सं0–2195 / यूपीडा / 190 / 13 / अधि0 दिनांक 23.07.2024
7.	श्री देवेन्द्र वर्मा	अधिशासी अभियन्ता	28.08.2024	सं0–3072 / 3024 / यूपीडा / 2023 / अधि0 दिनांक 28.08.2024

3. यूपीडा में नगर विकास विभाग / राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति से तैनात अधिकारी द्वारा यूपीडा में कार्यभार ग्रहण किया गया है। जिनके सम्बन्ध में यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में अनुमोदन निदेशक मण्डल की 89 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2024 में प्राप्त किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	कार्यभार ग्रहण	आदेश दिनांक
1.	श्री राज कुमार चौधरी	मुख्य अभियन्ता	08.05.2024	औद्योगिक विकास अनुभाग–03 के कार्यालय आदेश संख्या–77–3099 / 98 / 2024 दिनांक 07.05.2024 के क्रम में श्री राज कुमार चौधरी, मुख्य अभियन्ता ने यूपीडा मे दिनांक 08.05.2024 को कार्यभार ग्रहण किया है।
2.	श्री श्रीराम गोंड	नायब तहसीलदार	10.07.2024	राजस्व परिषद अनुभाग–03, के कार्यालय आदेश संख्या–2488 / 3–त0ना0त0–02, एन0टी0 / 2024 दिनांक 29.06.2024 के क्रम में श्री श्रीराम गोंड, नायब तहसीलदार ने यूपीडा में दिनांक 10.07.2024 को कार्यभार ग्रहण किया है।

4. यूपीडा में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी जिनकी संविदा सेवा अनुबन्ध समाप्त किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 89 वीं बोर्ड बैठक मे दिनांक 21.10.2024 में प्राप्त किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	संविदा सेवा समाप्त किये जाने की तिथि	कार्यालय आदेश संख्या
1.	श्री रवि शंकर निगम	प्रबन्धक (सिविल)	03.07.2024	सं0–1774 / यूपीडा / 1587 / 23 / अधि0 दिनांक 03.07.2024
2.	श्री शिवप्रसाद रामसूरत सिंह	महाप्रबन्धक (सिविल)	श्री शिवप्रसाद रामसूरत सिंह द्वारा अपने पद से दिनांक 25.08.2024 से त्यागपत्र दिया गया है।	
3.	श्री रामचन्द्र मौर्य	लिपिक	31.08.2024	अधिवर्षता आयु 70 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण इनकी संविदा सेवा समाप्त की गयी है।

5. यूपीडा में बुन्देलखण्ड / आगरा–लखनऊ / पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग व्यवस्था हेतु 03 सुरक्षा अधिकारी एवं 05 सहायक सुरक्षा अधिकारियों को संविदा पर नियुक्त किया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 89 वीं बोर्ड बैठक मे दिनांक 21.10.2024 में प्राप्त किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	योगदान की तिथि	कार्यालय आदेश संख्या
1.	श्री विजय नारायण तिवारी	सुरक्षा अधिकारी	29.07.2024	सं0–2300 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 26.07.2024
2.	श्री राजवीर सिंह	सुरक्षा अधिकारी	29.07.2024	सं0–2300 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 26.07.2024
3.	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	सुरक्षा अधिकारी	30.07.2024	सं0–2300 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 26.07.2024
4.	श्री धर्मराज यादव	सहायक सुरक्षा अधिकारी	28.08.2024	सं0–3026 / 2501 (मु0) यूपीडा / 22 / सुरक्षा / बु0ख0 दिनांक 27.08.2024
5.	श्री जनमेद शर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.07.2024	सं0–2299 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 26.07.2024
6.	श्री संतोष कुमार सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.07.2024	सं0–2299 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 26.07.2024
7.	श्री अशोक कुमार मिश्रा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.07.2024	सं0–2299 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 26.07.2024
8.	श्री दीनदयाल राय	सहायक सुरक्षा अधिकारी	29.07.2024	सं0–2299 / यूपीडा / 2168 / 21 / अधि0 दिनांक 26.07.2024

6. यूपीडा मे प्रतिनियुक्ति एवं संविदा तथा आउटसोर्सिंग से कार्यरत कर्मियों के सम्बन्ध मे कार्यालय आदेश दिनांक 31.07.2024, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की 89 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2024 में प्राप्त किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

यूपीडा के कार्यालय आदेश संख्या–2449 / यूपीडा / 744 / 17 टी0सी0 / वा0–03 / अधि0 दिनांक 31.07.2024 मे की गयी व्यवस्था, निम्नवत् है:–

यूपीडा के कार्यहित मे वचनवद्ध एवं नियमित कार्यो को क्रियान्वित करने हेतु यूपीडा में प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों तथा आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों के वेतन का भुगतान, यूपीडा मुख्यालय, व एक्सप्रेसवेज पर पी0आई0यू0 के प्रासगिंक व्यय, सुरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलिंग वाहनों / एम्बुलेंसेस से सम्बन्धित भुगतान तथा ट्रेबेल एजेन्सी से लगे वाहनों का मासिक भुगतान करने हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

अधिष्ठान प्रभाग के एजेण्डा बिन्दु–21 के उप बिन्दु–01, 02, 03, 04, 05 व 06 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–22:– **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत आगरा नोड में परियोजना की भूमि तक भारी वाहनों के आवागमन के लिए सड़क के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत आगरा नोड में परियोजना की भूमि तक भारी वाहनों के आवागमन के लिए सड़क के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–23:– **'प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जा रहे आई0एम0एल0सी0 / इण्डस्ट्रियल एरिया / डिफेन्स कॉरीडोर हेतु ई0आइ0ए0, ई0एम0पी0, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं वन क्लीयरेन्स आदि हेतु परामर्षियों के इम्पैनलमेन्ट के लिये तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख पर अनुमोदन के संबंध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'प्राधिकरण द्वारा विकसित एक्सप्रेसवेज के किनारे विभिन्न स्थलों पर आई0एम0एल0सी0 / इण्डस्ट्रियल एरिया / डिफेन्स कॉरीडोर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित आई0एम0एल0सी0 / इण्डस्ट्रियल एरिया / डिफेन्स कॉरीडोर हेतु ई0आइ0ए0, ई0एम0पी0, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं वन क्लीयरेन्स आदि हेतु परामर्शियों के इम्पैनलमेन्ट के लिये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख तैयार कर नामित समिति के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 27.07.2024 को ई–टेण्डर पोटर्ल पर प्रकाशित कर इच्छुक परामर्शियों से प्रस्ताव आंमत्रित किये गये थे। जिसके क्रम में निर्धारित तिथि 18.09.2024 को निम्न 07 परामर्शियों से निविदायें प्राप्त हुई थीं:–

i. Ecomen Laboratories Pvt. Ltd.
ii. Rightsource Industrial Solution Pvt. Ltd.
iii. EQMS Global Pvt. Ltd.
iv. Voyants Solutions Pvt. Ltd.
v. Ind Tech House Consult
vi. MITCON Consultancy and Engineering Services Ltd.
vii. Paramarsh Servicing Environment And Development

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया था कि उक्त आवेदनकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा चुका है तथा मूल्यांकनोपरान्त तकनीकी रूप से कुल 04 आवेदनकर्ताओं को अर्ह पाया गया है, जिनकी वित्तीय निविदायें खोल दिनांक 24.10.2024 को खोली जायेगीं।

प्राधिकरण द्वारा विकसित एक्सप्रेसवेज के किनारे विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित आई0एम0एल0सी0 / इण्डस्ट्रियल एरिया / डिफेन्स कॉरीडोर के लिए ई0आइ0ए0, ई0एम0पी0, पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं वन क्लीयरेन्स आदि हेतु परामर्शियों के इम्पैनलमेन्ट के लिये तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा की गई कृत कार्यवाही पर पर निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–24:– **'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' पर ए0टी0एम0एस की सप्लाई एवं इन्स्टॉलेशन हेतु कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख पर अनुमोदन के संबंध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ए0टी0एम0एस की सप्लाई एवं इन्स्टॉलेशन हेतु कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये यूपीडा द्वारा कुल आगणित लागत रू0 15,04,06,419 की 'बिल ऑफ क्वांटीटी' के आधार पर आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख तैयार किया गया था, जिस पर नामित समिति के अनुमोदनोपरान्त ई–टेंडर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30.08.2024 को निविदाऐं आमंत्रित की गईं थीं तथा दिनांक 23.09.2024 को प्री–बिड बैठक आहूत की गई थी। उपरोक्तानुसार तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख की प्रति निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा कृत कार्यवाही एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर ए0टी0एम0एस की सप्लाई एवं इन्स्टॉलेशन हेतु कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये यूपीडा द्वारा तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख पर यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–25:–

'गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे' पर टोल प्लाजा के रख–रखाव एवं टोल वसूली हेतु एजेंसी के चयन हेतु तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख पर अनुमोदन के संबंध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर स्थापित 2 टोल प्लाजा एवं 7 रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 04 नग एम्बुलेन्स, 04 नग पेट्रोलिंग वाहन एवं 04 नग पेट्रोल–कम–सेफ्टी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख पर 'नामित समिति' के अनुमोदनोपरान्त ई–टेंडर पोर्टल के माध्यम से दिनांक 16.07.2024 को निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं। जिसके सापेक्ष पर्याप्त निविदाऐं प्राप्त न होने के कारण बिड जमा करने की अंतिम तिथि को कई बार बढाने के उपरान्त भी दो से अधिक निविदाऐं प्राप्त नहीं हुई हैं। निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में बिड प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21.10.2024 सांय 05:00 बजे है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कृत कार्यवाही तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर स्थापित 2 टोल प्लाजा एवं 7 रैम्प प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 04 नग एम्बुलेन्स, 04 नग पेट्रोलिंग वाहन एवं 04 नग पेट्रोल–कम–सेफ्टी वाहन (आवश्यक कार्मिको सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख पर निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–26:–

'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर ई–वे हब्स' विकसित करने हेतु तैयार किये गये 'रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल' पर अनुमोदन के सम्बंध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना पर डी0बी0एफ0ओ0टी0 के आधार पर वे–साइड–एमेनिटीज विकसित किये जाने हेतु विकासकर्ताओं के चयन के लिए दिनांक 21.11.2023 को ई–टेंडर पोर्टल के माध्यम से 'रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल' जारी कर निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं। तद्क्रम में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे हेतु कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई थी, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु मात्र 01 बिड तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के एक WSA हेतु 03 बिड एवं दूसरे WSA हेतु दो बिडस् प्राप्त हुई थीं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों WSAs हेतु अधिकतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) को विकासकर्ता के रूप में चयन कर दिनांक 12.03.2024 का 'लेटर ऑफ अवार्ड' जारी किया गया था।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 08 एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर 04 WSAs विकसित किये जाने हेतु परामर्शी द्वारा दोनों एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर ई–वे हब्स' विकसित करने हेतु संशोधित 'रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल' तैयार किया गया था, जिस पर 'नामित समिति' की बैठक दिनांक 18.07.2024 में विचार–विमर्शोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया था। अनुमोदित आर0एफ0पी0 अभिलेख को दिनांक 27.07.2024 को ई–टेंडर पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित कर इच्छुक विकासकर्ताओं से ऑनलाइन निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं, जिसके क्रम में निर्धारित तिथि 14.10.2024 को कुल 11 निविदाऐं प्राप्त हुए हैं, जिनका तकनीकी मूल्यांकन परामर्शी द्वारा किया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कृत कार्यवाही तथा 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर ई–वे हब्स' विकसित करने हेतु ई–टेंडर पोर्टल पर जारी किये गये 'रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल' एवं पृच्छाओं के स्पष्टीकरण/संशोधन पर निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–27:–

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर टोल फीस एकत्र करने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 12 एम्बुलेन्स, 12 पेट्रोलिंग वाहन एवं 12 पेट्रोल–कम–सेफ्टी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु नवीन एजेंसी चयनित किये जाने के लिये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख तैयार कर दिनांक 25.06.2024 को ई–टेंडर पोर्टल के माध्यम से निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं। तद्क्रम में दिनांक 12.07.2024 को आयोजित प्री–बिड बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आवश्यक कोरिजेन्डम दिनांक 23.07.2024 को जारी किया गया था। उक्त आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख तथा कोरिजेन्डम की प्रति निदेशक मण्डल के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त के क्रम में निर्धारित तिथि 09.09.2024 को ई–टेंडर पोर्टल पर 04 निविदाकर्ताओं की निविदायें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें निर्धारित तिथि 10.09.2024 को 'नामित समिति' के समक्ष ऑनलाइन खोला गया था। उक्त निविदाकर्ताओं के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनोंपरान्त दिनांक 19.09.2024 को आहूत 'नामित समिति' की बैठक में तकनीकी रूप से अर्ह सभी 04 निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया था जिसके निम्नलिखित विवरण से निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया:–

S. No.	Name of Bidders	Total Bid Amount (To be paid by the Bidder to the Authority for the first year of contract inclusive of all taxes including GST)	Rank
1.	Inderdeep Construction Co.	Rs. 137,78,99,999.00	H-2
2.	M/s Datar Security Service Group, in JV with M/s Sri Sai Enterprises	Rs. 158,88,42,999.00	H-1
3.	M/s Skylark Infra Engineering Pvt. Ltd.	Rs. 123,07,77,777.00	H-4
4.	M/s Eagle Infra India Ltd.	Rs. 133,45,00,000.00	H-3

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार उच्चतम वित्तीय निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता M/s Datar Security Service Group-M/s Sri Sai Enterprises (JV) को नामित समिति के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 20.09.2024 को लेटर ऑफ अवॉर्ड निर्गत किया गया था तथा दिनांक 10.10.2024 को अनुबंध निष्पादित कर चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक 14.10.2024 समय 00:00:00 बजे से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल कलेक्शन, 12 नग एम्बुलेन्स, 12 नग पेट्रोलिंग एवं 12 नग पेट्रोलिंग–कम–सेफ्टी वाहन (आवश्यक कार्मिकों सहित) हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में उपरोक्तानुसार की गई कृत कार्यवाही, तैयार किये गये आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख, कोरिजेन्डम तथा उपरोक्तानुसार M/s Datar Security Service Group-M/s Sri Sai Enterprises (JV) के चयन पर निदेशक मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–28:– **यूपीडा के अन्तर्गत विभिन्न एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रयुक्त भारी वाहनों के आवागमन से लोक निर्माण विभाग के क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।**

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे के निर्माण में सामग्री आपूर्ति हेतु जिन मार्गो का प्रयोग निर्माणकर्ताओं द्वारा किया गया था उनमें हुई क्षति एवं टूट–फूअ के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा उन मार्गो के पुर्ननिर्माण का अनुरोध किया गया है, जबकि इन मार्गो का प्रयोग संदर्भित अवधि में केवल यूपीडा की निर्माणकर्ता संस्थाओं द्वारा ही नहीं किया गया है। अतः पुर्ननिर्माण का कार्य यूपीडा के स्तर से कराये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। कार्यदायी संस्थाओं को यूपीडा के स्तर से पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि चिन्हित क्षतिग्रस्त मार्गो को अपने स्तर से सुगम यातायात हेतु मरम्मत करा दे, क्योंकि पुर्ननिर्माण के लिये कार्यदायी संस्थाओं के अनुबन्ध में कोई प्राविधान नहीं है।
उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए मा0 निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है।

एजेण्डा बिन्दु–29– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के भाँति गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन हेतु मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा गार्ड एवं चालकों के पद सृजन एवं संसाधनों की स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

नोडल अधिकारी (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे) द्वारा यूपीडा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि आगरा–लखनऊ, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे की भाँति गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे पर भी सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन हेतु मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा गार्ड एवं चालकों के पद सृजन करने एवं संसाधनों की आपूर्ति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता से अवगत कराया गया। उक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा आगरा–लखनऊ, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे की भाँति गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार पदों को संविदा/आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने तथा पेट्रोलिंग कार्यो हेतु पूर्व व्यवस्था के अनुसार वाहन क्रय किये जाने के निर्देश दिये गये।

क्रम सं0	पैकेज	C.S.O.	S.O.	A.S.O.	चालक	पूर्व सैनिक	पैट्रोलिंग वाहनों की संख्या
1	1	1	1	2	09	24	03
2	2	-	1	2	07	24	02
योग		**01**	**02**	**04**	**16**	**48**	**05**

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– **यूपीडा के इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनान्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु दर निर्धारित एवं भूमि आवंटन प्रकिया के सम्बन्ध में।**

यूपीडा द्वारा विकसित किये जा रहे इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के विभिन्न नोड पर भूखण्डों के दर निर्धारण का प्रस्तावित फार्मूला तथा भूखण्ड आवंटन की प्रस्तावित प्रकिया निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर निम्नानुसार सहमति प्रदान की गयी:–

(1) भूखण्डों का दर निर्धारण

(i) विक्रय योग्य भूमि कुल क्रय भूमि का 60 प्रतिशत या नोडवार प्लानिंग के आधार पर वास्तविक प्रतिशत।

(ii) भूखण्डों के दर निर्धारण के लिए नोड के आन्तरिक व बाह्य विकास हेतु प्रति हेक्टेयर रू 1.50 करोड़ की लागत के आधार पर आकंलन।

(iii) विकास कार्य हेतु धनराशि वित्तीय संस्थाओं या अन्य माध्यम से प्राप्त होने पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज को भूमि निर्धारण दर में शामिल किया जाना।

(iv) भूमि की लागत में ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क मानते हुए आगणन किया जाना।

(v) प्रशासनिक व आकस्मिक व्यय 12%

(v) 75% विक्रय योग्य भूखण्डों के आवंटन के उपरान्त आधार मूल्य को निवेशकों के रिस्पांस के आधार पर पुर्ननिर्धारित किया जाना।

(2) भूमि आवंटन की प्रकिया :

इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेशकों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा व यूपीसीडा में प्रचलित प्रकिया पर विचार करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर, निवेश प्रस्ताव की मार्किंग व साक्षात्कार के आधार पर आवंटन किये जाने की प्रकिया अंगीकृत किये जाने पर सहमति दी गयी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि यूपीडा द्वारा सभी एक्सप्रेसवे एजेण्डा सं0–2 के बिन्दु सं0–2.14 पर अंकित टिप्पणी के अनुसार निदेशक मण्डल को Riding Quality & Riding Comfort Assessment के कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया। Hardware एवं Sensor का Installation यूपीडा द्वारा क्रय किये गये इनोवा वाहन में पूर्ण किया जा चुका है तथा दिनांक 13–14 सितम्बर,2024 को Buddha International Circuit, Greater Noida, JP Sport City के Race Track पर वाहन का Calibration पूर्ण किया गया है। इसका User Interface माह अक्टूबर, 2024 के अन्त तक ETH/RTDT द्वारा पूर्ण कर लिया जायेगा तथा माह नवम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह से निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर उक्त वाहन का प्रयोग Riding Quality & Riding Comfort Assessment के कार्य हेतु प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त तकनीकी से विकसित वाहन तथा उक्त Module का प्रयोग यूपीडा द्वारा निर्मित अन्य एक्सप्रेसवेज यथा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे (302 किमी0), पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे (341 किमी0), बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे (296 किमी0) एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे (91.35 किमी0) की Riding Quality & Riding Comfort Assessment हेतु भी प्रयोग किया जायेगा, जिससे अनुरक्षण के दौरान Riding Quality & Riding Comfort में सुधार किया जा सके। निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि Hardware, Sensor व अन्य टास्क पर किये गये व्यय के सापेक्ष उक्त पर प्रस्तावित व्यय काफी कम होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त यूपीडा द्वारा निर्मित अन्य एक्सप्रेसवेज पर Development of the multi-expressway IT Infrastructure, Setup of a custom user Interface for

reporting on multiple expressways and Cloud Storage & computing पर होने वाले व्यय का अनुमोदन आगामी निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

अंत में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.10.2024 को सम्पन्न हुई 89वीं बोर्ड बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.11.2024 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीहरि प्रताप शाही)
आई०ए०एस०
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं
सहायक सदस्य–सचिव, यूपीडा निदेशक मण्डल